HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1144/2026
URN: CRLAS / 2107U / 2026

Manish Saini Son Of Shri Gulab Chand, Aged About 34 Years, Resident Of House No. 359, Vinoba Vihar, Modal Town, Police Station Malviya Nagar, Jaipur (Raj.) (The Accused-Appellant Presently Confined Central Jail Jaipur).

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Kishan Meena Son Of Late Shri Ratan Lal Meena, Resident Of 10/117, Malviya Nagar, Jawahar Circle, Jaipur (Raj.).

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Rajneesh Gupta Mr. Vikash Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. Jai Prakash Tiwari, PP with Mr. Gaurav Gupta, AGA Mr. Manish Kumar Meena

---

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR
Order

03/07/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 14–ए (2) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत यह जमानत अपील अधीनस्थ न्यायालय, विशिष्ट न्यायालय, अनु.जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा जमानत आवेदन संख्या 116/2026 (सीआईएस नं. 896/2026) में पारित आदेश दिनांक 16.05.2026 से व्यथित होकर पेश की गई है, जिसके तहत पुलिस थाना– जवाहर सर्किल, जिला– जयपुर सिटी (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–51/2026 अपराध अंतर्गत धारा 125, 324(2), 333, 351(2), 352, 189(2), 111(2)(b) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(r), 3(1)(s) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम में अपीलार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया गया।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि अपीलार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त का यह भी तर्क है कि प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण आचित्य सिंह, गौरव कलवानी व प्रतीत नायक की जमानत याचिकाएं इस न्यायालय द्वारा व संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं। अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। अपीलार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत अपील स्वीकार की जाए।

विद्वान् अधिवक्ता परिवीादी व विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत अपील का विरोध किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के मकान में अनाधिकृत रूप से प्रविष्ट करने के उपरांत मारपीट की गई है। अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कुल 31 अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं। अपीलार्थी/अभियुक्त अभ्यस्त अपराधी है यदि उसे जमानत का लाभ दिया जाता है तो पुनः अपराध में संबद्ध होने की संभावना है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत अपील अस्वीकार की जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण आचित्य सिंह, गौरव कलवानी व प्रतीत नायक की जमानत याचिकाएं इस न्यायालय द्वारा व संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं। मैं अपीलार्थी/अभियुक्त की जमानत अपील स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त की जमानत अपील स्वीकार की जाती है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त म**नीष सैनी पुत्र गुलाब चंद** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत अपील स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2026 अपास्त किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे

बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु पच्चास हजार रुपये का बन्ध–पत्र एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियॉ प्रस्तुत कर प्रमाणित करवाये तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो संबंधित थानाधिकारी के माध्यम से अपीलार्थी/अभियुक्त व उसके प्रतिभू के वर्तमान पते सत्यापित करने के उपरांत प्रार्थी/अभियुक्त को अविलम्ब निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः–

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत अपीलार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि अपीलार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।
2. अपीलार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि अपीलार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

35/RAMESHWAR